प्रकरण संख्या 16/2022 जगदीश बनाम शम्भूसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बड़गांव, तहसील भीण्डर में खसरा नंबर 52/3, 55, 56/1 मी., 57/1 मी. किता 4 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/3 हिस्सा अंकित होकर पक्षकारान अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी ने 1/6 हिस्सा खातेदार शंकरलाल, उंकारलाल पिता गांगा से रजिस्टर्ड विक्रय से क्रय किया है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2017 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 15.05.2018 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 02.03.2022 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री सुरेश त्रिवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री दिनांक 15,05.2018 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.01.2022 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाबदावा एवं साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना एवं बिना सुने राजस्व कैम्प में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में [illegible] किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2018	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:42 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रकरण संख्या 16/2022 जगदीश बनाम शम्भूसिंह</u>

	निरस्त की जावे। रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 997, आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 198 एवं आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 452 प्रस्तुत की। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2017 को दर्ज किया जाकर बिना प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिए एवं साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.05.2017 को राजस्व कैम्प में प्रतिवादी/अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2018 को पी.डी. की पालना हेतु प्रकरण दिनांक 11.06.2018 को नियत किया गया, किन्तु उसके स्थान पर बिना किसी आपसी सहमति के प्रकरण दिनांक 25.04.2018 को ही राजस्व कैम्प में रखकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.05.2018 नियत कर राजस्व कैम्प में अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। हम यह भी पाते हैं कि फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है, तदपश्चात् उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2018 को जारी की गयी है, वह त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की हैं उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.05.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्टगण को जवाबदावा व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर एवं उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Anita Meena Date: 2022.09.27 13:55:42 IST Reason: SelfAttested (अनीता मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	